

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 09, शनिवार, शाके 1947- फरवरी 28, 2026 Phalguna 09, Saturday, Saka 1947- February 28, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर
अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 21, 2025

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम,
2013 धारा 4(1)

संख्या प. ()/सा.नि.वि./2025: **RAJKAJ 20791331** :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50) राज- 6/2016/02 दिनांक के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य में नसीराबाद-सरवाड़-केकरी-देवली रोड (एसएच-26) के लिए 2 लेन से 4 लेन तक के उन्नयन और निर्माण कार्य के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु परामर्श के निर्माण किये जाने के प्रयोजन से जिला अजमेर के तहसील नशीराबाद , टांटोटी एवं सरवाड़ के प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1.	अजमेर	नशीराबाद	देराठू
2.	अजमेर	नशीराबाद	सनोद
3.	अजमेर	नशीराबाद	लौहरवाडा
4.	अजमेर	नशीराबाद	जसवन्तपुरा
5.	अजमेर	नशीराबाद	रामपुरा (हनुवंतिया)
6.	अजमेर	नशीराबाद	रामसर
7.	अजमेर	टांटोटी	टांटोटी
8.	अजमेर	टांटोटी	शोकलिया
9.	अजमेर	टांटोटी	माधोपुरा
10.	अजमेर	टांटोटी	शोकली
11.	अजमेर	टांटोटी	सराना
12.	अजमेर	सरवाड़	सरवाड़
13.	अजमेर	सरवाड़	कोटडी
14.	अजमेर	सरवाड़	बडला
15.	अजमेर	सरवाड़	अरवड
16.	अजमेर	सरवाड़	गणेशपुरा

17.	अजमेर	सरवाड़	बांटी
18.	अजमेर	सरवाड़	गोयला
19.	अजमेर	सरवाड़	शेरगढ़
20.	अजमेर	सरवाड़	कालावट
21.	अजमेर	सरवाड़	खीरथी
22.	अजमेर	सरवाड़	इंदरपुरा
23.	अजमेर	सरवाड़	दौलतपुरा
24.	अजमेर	सरवाड़	सोमपुरा
25.	अजमेर	सरवाड़	समेलथिया
26.	अजमेर	सरवाड़	भाटोलाव
27.	अजमेर	सरवाड़	जगपुरा
28.	अजमेर	सरवाड़	सोहनपुरा
29.	अजमेर	सरवाड़	हींगतडा
30.	अजमेर	सरवाड़	अजगरा
31.	अजमेर	सरवाड़	सुरजपुरा
32.	अजमेर	सरवाड़	लल्लाई
33.	अजमेर	सरवाड़	अजगरी

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 'पायनियर इन्फ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान' एजेन्सी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी। तत्पश्चात प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व संपूर्ण कराया जाना आवश्यक है।
7. **Note:-** यह गांव की सूची नसीराबाद से केकड़ी Phase-2 तक मौजूदा संरेखण तथा सरवाड़ बाईपास को विचार करते हुए विभाग द्वारा संरेखण अनुमोदन करने पर बनार्यी गयी है।

सम्पर्क सूत्र :-

1. श्री कमलकान्त मीणा RSRDC विभाग (9176485547)
2. मोहसीन गौरी (पुनर्वास विशेषज्ञ) (9887980257)

कार्यालय :-

पायनियर इन्फ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

बी-256, गोपालपुरा बाईपास रोड, 10-बी स्कीम,

विश्वेश्वरैया नगर, अर्जुन नगर,

जयपुर, राजस्थान 302018

ई-मेल : pioneer.pcpl@gmail.com

फोन नं. - 0141-2761891

आर.के.लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।